ISSN : **2583-3189 (E), 2583-0775 (P)**
Year-02, Volume-02, Issue-03

AMOGHVARTA

डॉ. रीता कुमारी, अभिमन्यु कुमार प्रजापति,
Page No. 14 - 18

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

>kj[k.M esa iapk;rh jkt ,oa vkfnoklh leqnk;

ORIGINAL ARTICLE

Authors
MkW- jhrk dqekjh]
सह–प्राध्यापक,
एवं
vfHkeU;q dqekj iztkifr]
राजनीति विज्ञान विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय
हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

'kks/k lkj

झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है, झारखण्ड की स्वशासन व्यवस्था का प्रमुख अवधारणा हमारे गाँव में हमारा राज है। यह प्रदेश का अध्ययन से पहले यह जानना आवश्यक होगा कि यहाँ कि भौगोलिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है। झारखण्ड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। प्रायः झारखण्ड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ के लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। लगभग यहाँ के लोगों की दिशा एवं दशा कृषि पर ही आश्रित होते हैं। झारखण्ड में कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से संथाल है। इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में जीवन, सम्मान, उनके अधिकारों एवं स्वशासित होने के उनके नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक औजार है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था उस समय सतह पर उभरी एवं संवैधानिक रूप से आदिवासियों के अधिकार उस समय उनके विभिन्न अंग बने जब वर्ष 1996 में भारत सरकार के द्वारा "पेसा कानून" लाया गया। यह कानून लागू करने का तात्पर्य एक ओर जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को प्रावधानों का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों तक करना था। वहीं दूसरी ओर पारम्परिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना था। आदिवासी समुदाय में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अगल–अलग प्रकार की है। प्रायः आदिवासी समुदाय का इतिहास आत्म निर्णय एवं स्वशासन के संघर्ष की एक गाथाओं से परिपूर्ण है। यह समूह की लोग यह मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन इनका अधिकार स्वयं के शासन से ही स्थापित हो सकते हैं।

eq[; 'kCn

vkfnoklh] lekt] fodsUnhdj.kA

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन एवं पंचायत के उपबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम पेसा कानून में एक नयी द्वार खोल दिया। संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है जिसमें झारखण्ड जैसे प्रदेश में सहभागी, स्वशासी, स्वावलंबी, सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा पर जोर है, जिससे समाजिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समानता लाया जा सके। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान किया गया। आदिवासियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष सीटों का आरक्षण सुनिश्चित

करवाया गया है। महिलाओं की आरक्षण के आधार पर उनकी सीटों का भी सुरक्षित किया गया है। पंचायतों से संबंधित विधियों का प्रयोग राज के विधान मंडल पर है जिसमे राज चुनाव आयोग, राज वित्त आयोग का गठन इत्यादि। यह प्रावधान सुनिश्चित है कि पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिनियमों का चलाने का प्रयास करेगा। झारखण्ड विधान सभा ने बहुत हद संवैधानिक मूल बातों को झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001, को सम्मिलित कर राज्य के अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र की सामाजिक जरूरतों को ध्यान रखते हुए देश में पंचायत राज व्यवस्था के लिए एक अनूठा पंचायत राज ढाँचा को प्रस्तुत रखा है।

आदिवासी समुदाय में संताली की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था भी प्राचीनतम है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न आवधारणाओं का प्रारूप तैयार करते हैः

ek>h% संतालों में मांझी गाँव का प्रधान होता है। प्रायः ये गाँव के अन्दरूनी और बाहरी दोनों प्रकार व्यवस्था हेतु गाँव का प्रतिनिधित्व करता है। मांझी जो गाँव का प्रशासनिक व न्यायनिक अधिकार सहित लगान प्राप्त करने का अधिकार है।

ijkuhd% यह भी ग्राम सभा का प्रमुख सदस्य होता है, यह मांझी के निचले स्तर का होता है। मांझी की अनुपस्थिति में परानीक ही मांझी की सभी कार्यो को करता है।

xkMsr% गोडेत ग्रामीणों के संदेशवाहक के रूप में कार्य करते है। यह ग्रामीण के कहने या सूचित हेतु कार्य करता है। यह मांझी के कहने पर ग्राम में बैठक कराने के लिए ग्रामीणों को सूचना प्रदान करता है। गोडेत को पूरे ग्राम का जनसंख्या एवं परिवार का जानकारी रहता है।

tkx ek>h% यह व्यक्ति मांझी का उपसचिव के रूप में कार्य करता है। ग्राम में सभी प्रकार की शादी–विवाह का हिसाब–किताब रखत है। ये शादी–विवाह के विवादों में जोग मांझी अपना निर्णय सुनाता है।

tkx ijkuhd% जोग मांझी की अनुपस्थिति में यह उनका सभी कार्य करता है।

HkkXnk i:tk% गाँव के प्रमुख व्यक्तियों को कहा जाता है। गाँव के प्रत्येक मामलों को विचार विमर्श करते हैं।

ykl:j V:xkp% यह मांझी के नजदीक का व्यक्ति होता है। यह मांझी के साथ विचार विमर्श करता है।

uk;d% यह व्यक्ति गाँव में चल रहे पूजा–पाठ इत्यादि को समाप्त कराता है। धार्मिक मामले का सुनवाई करता है और देवी–देवताओं की पूज अर्चना करता है। इसके नीचे कुडाम नायके होता है जो इनकी मान्यताओं को आगे ले जाता है।

ekM: ek>h ;k n:l ek>h% ये लगभग 5 ये 8 गाँवों के मांझियों पर एक देस मांझी होता है। इसका प्रमुख कार्य यदि किसी मामले में मांझी फैसला नही दे पाता है तो यह मोडे मांझी के पास ले जाया जाता है। जब तक वह विवादों का निबटारा न करे तो यह फैसला मोडो मांझी सुनाता है।

ijxu:r% इसमें लगभग 15 से 20 गाँव होता है। ये मांझी का प्रमुख होता है। देस मांझी द्वारा विवाद का निबटारा करता है।

l:lkfj;k% ये बैठकों को सुचारू रूप से चलाता है।

pkdhnkj% ये मांझी के आदेश से आरोपी को पकड़ता है और गिरफ्तार करता है।

fn'kke ijxuk% परगनैत के ऊपर दिसोम परगना होता है। अगर परगनैत के द्वारा मामला को नही निपटाया जाता है तो देसोम परगना उसका निपटारा करता है।

igkfM;k vkfnoklh% यह जनजाति के लोग झारखण्ड प्रदेश के संताल परगना में रहते हैं। पारम्परिक इतिहासों के मुताबिक संताल परगना के लोग संतालों से पूर्व पहाड़िया लोग बसे थे। अगर देखा जाए तो पहाड़िया तीन प्रकार से है – (क) माल पहाड़िया (ख) कुमार भाग पहाड़िया (ग) सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया समुदाय के पारम्परिक स्वशासन –

ek>h% मांझी गाँव का प्रधान होते है यह गाँव के प्रशासनिक व न्यायनिक अधिकार इनके पास होता है।

xkMsr% यह व्यक्ति मांझी का सहयोगी होता है। ग्राम प्रधान मांझी के आदेश को पालन करते हुए यह गाँव के बैठकों को बुलाता है।

uk;d% नायक गाँव के धार्मिक पूजा–पाठ को कराता है।

ljnkj@ukbZc% ये लगभग 20 गाँवों के मांझियों के ऊपर रहता है। सरदार या नाईब के अधीन में मांझी कार्य करता है। यह अंग्रेजों के शासनकाल में मिली थी जो आज भी यह मान्यता जारी है।

dkYgku e: LFkkuh; Lo'kklu% ये झारखण्ड के सिंहभूम जिले में ”हो” आदिवासी लाबके लो अधिकार निवास करते हैं। प्रायः ”हो” आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था काफी प्राचीन से ही विराजमान है। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनकों सरकारी मान्यता दे दिया गया है। ”हो” आदिवासियों की पारंपरिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था को चलाने के लिए मुडा, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार, तीन मानकी, दिउरी, यात्रा दिउरी।

eqMk% मुडा गाँव का प्रधान होता है। प्रायः इसे प्रशासनिक व न्यायिक एवं लगान या मालगुजारी लेने का भी अधिकार है, यह खाली पड़ी जमीनों का बंदोबस्त कर सकता है।

Mkdqvk% ये मुंडा का सहायक होता है। इसके द्वारा ही मुंडा गाँव वालों को किसी प्रकार की बैठक या मामले के बारे सूचना देता है।

ekudh% मानकी 20 गाँवों के मुंडा के ऊपर एक मानकी होता है, ये उक पीड़ का प्रमुख व्यक्ति होता है ये लिया गया मालगुजारी को वसूलता है।

rglhynkj% ये मानकी का सहायक होता है। मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से मालगुजारी वसूलता है।

rhu ekudh% इसकी एक समिति होती है, जब मानकी द्वारा मामला को नहीं सुलझाया जाता है तो तीन मानी सदस्य द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

fnmjh% ये गाँव के पर्व–त्योहारों को सम्पन्न कराता है। धार्मिक अपराध वाले व्यक्ति को दण्ड देता है।

;k=k fnmjh% ये ग्रामीण स्तर के देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करता है। धार्मिक अपराधों को सुलझाने का प्रयास करता है।

eqMkjh [kwVdVh {ks=% ये प्रायः मुंडा आदिवासी उपनी स्थानीय स्वशासन को बचाने का प्रयास करते रहते है। यह जनजाति के लोग राँची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, धनबाद में अधिक मात्रा में है। ये अपना संगठन को चलाने में काफी स्तर तक पुरानी व्यवस्था पर जोर देते हैं। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से समाज में घटित समस्याओं जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामले को आपस में निपटारा करते हैं। मुंडा जनजाति का नेतृत्व मुंडा, पाहन, पुजारी पाहन, महतो, पहड़ा राजा, ठाकुर, दीवान, लाल, पांडे, पुरोहित, घटवार, चंवार डोलाइत, बरकंदाज, दरोगा करते है। मुंडा : मुंडा गाँव का प्रधान होता है। ग्रामीण संचालन व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका रहती है। किसी प्रकार की बाहरी कार्य को करने में मुंडा प्रतिनिधित्व करता है। मुंडा गाँव के सामाजिक, प्रशासनिक व न्यायिक कार्यो को स्वयं प्रतिनिधित्व करता है। मुंडा गाँव की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अंचलाधिकारी के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की योजना बनाता है व कर वसूली भी करता है।

ikgu% ये मुंडा का सहायक या सचिव होता है। ग्राम प्रधान मुंडा की अनुपस्थिति में पाहन ही गाँव के सभी कार्य करता है।

iqtkjh ikgu% इनके द्वारा गाँव में समस्त प्रकार की पूजा–पाठ होता है, इनकी पूजा–पाठ की अनुपस्थिति में कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता है।

egrks% महतो प्रायः मुंडा और पाहन का सहायक व्यक्ति होता है। महतो गाँव में सूचना प्रदान करने की कोशिश करता है। ग्रामीण क्षेत्र से बाहर सूचनाओं का आदान–प्रदान महतो ही करता है। महतो पुजारी पाहन की सहायता करता है।

igMk jktk% कई सारे गाँव को मिलाकर लगभग 20 गाँव को मिलाकर एक ये बनता है जिसे पहड़ा राजा कहते हैं। ये पहड़ा का प्रधान होता है। इसमें कुछ मुंडा क्षेत्र में पहड़ा राजा को मानकी कहा जाता है।

jktk% 22 पहड़ा राजा में एक राजा होता है। मुंडा क्षेत्र में पहले 12 पहड़ा था लेकिन परिवर्तन हुए अब 22 पहड़ा हैं।

Bkdj% पहड़ा राजा के कार्यो में सहयोग हेतु एक ठाकुर होता है, ये सहायक भी होता है।

nhoku% ये राजा का मंत्री होते हैं जो कि राजा के आदेशों को अमल में लाते है। सभा के लिए राजा दीवान को आदेश देते हैं और दीवान उनके आगे की कार्यवाई करते है। दीवान दो तरह के होते है (1) गढ़ दीवान (2) राज दीवान।

ykyk% इसका कार्य सभा में विचार प्रस्तुत करने का काम करता है।

iqjksfgr% पुरोहित शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में गलत कार्य करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसे पुरोहित के द्वारा शुद्ध किया जाता है।

?kVokj% ये सभा की बैठक को दण्ड सामाग्री को बाँटता है चाहे वह रूपया हो या कोई वस्तु।

pokj Mkykbr% सभा में हाथ, पैर धुलाने का कार्य करता है।

iku [kokl% ये सभा में तम्बाकु इत्यादि देने का कार्य करता है।

flikgh% ये गाँवों में आदेश पत्र या नोटिस चिपकाने कार्य करता है।

nkjkxk% ये बैठक की कार्यवाई में सभा पर नियंत्रण रखता है।

ik.M;k% ये सभा में कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी लेता है। राजा के आदेशों पर नोटिस जारी करता है।

Hkbgjh {ks=% इन सभी क्षेत्रों में उरांव आदिवासी मुख्य रूप से रहते हैं, झारखण्ड के उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर में निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था : महतो (गाँव का प्रधान), कोतवार (महतो का सहायक), पाहन, पुजारी (पुजारी धार्मिक पाठ), पुजार (पुजारी), पचोरा, पहड़ा राजा, पहड़ा दीवान इत्यादि।

egrks% गाँव का प्रधान होता है ये ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है। प्रशासनिक व न्यायिक कार्य को स्वयं करता है।

dkrokj% ये महतो (प्रधान) का सहायक होता है। ग्राम प्रधान के आदेश पर मामलों को ग्रामीणों को सूचित करता है।

ikgu% गाँव में धार्मिक कार्य जैसे पूजा–पाठ करता है।

iqtkj% कई सारे गाँवों का धार्मिक कार्य व पूजा–पाठ करता है।

igMk jktk% ये 5 से 15 गाँवों के ऊपर एक पहड़ा राजा होता है। पहड़ा दीवान : सभी पहड़ा राजा के बीच एक पहड़ा दीवन होता है, जो सभी के बीच समन्वय बनाता है।

[kfM;k vkfnoklh% खडिया आदिवासी जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था– ये झारखण्ड के गुमला व राँची जिले से लेकर उडीसा तक के फैले हुए हैं। इस प्रदेश में ज्यादातर लोग बीरू क्षेत्र (सिमडेगा) में है, खडिया तीन प्रकार के हैं– पहाड़ी (हिल) खडिया, दूध खडिया, ढेलकी खडिया इत्यादि।

egrks% ये गाँव का मुख्य व्यक्ति होता है ये वंशानुगत पद है, कभी–कभी ग्रामीणों की सहमति से बदला भी जाता है।

ikgu% ये गाँव में धार्मिक कार्य हेतु पूजा–पाठ करता है। खडिया में ये भी वंशानुगत पद प्राप्त है।

djVkgk% ग्रामीण क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति को अशुद्ध करारा दिया जाता है तो करटाहा द्वारा पूजा–पाठ कराया जाता है और व्यक्ति को शुद्ध किया जाता है।

ifjokj ,oa xkao esa fookn dk ikjEifjd uetRo ,oa funku

सभी जनजाति में उनके परिवार व आस पड़ोस में विवाद होते हैं, जिनका निदान उस ग्राम के प्रधान के द्वारा किया जाता है। इनके साथ–साथ ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। विवाद में दो पक्ष होते हैं पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। यह दोनों सभा में बैठक में अपने बातों को रखते हैं जिसे आम तौर पर पंचायत कहा जाता है। इनकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। इन सभी जनजातियों में प्रधान की अपनी–अपनी विशेषताएँ है। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर ग्राम प्रधान व सम्मानित व्यक्ति फैसला सुनाता है जो कि दोनों पक्षों को मानना पड़ता

है। ग्राम सभा की बैठक में कार्यवाही के आधार पर दस्तावेजीकरण/डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है। पारंपरिक स्वशासन में कई प्रकार की कमियाँ होती है जैसे महिलाओं की भागीदारी कम होती है। आदिवासी क्षेत्र में यह केवल पारंपरिक कानून निर्णय का केन्द्र बिन्दु है जो धार्मिक, नैसर्गिक ज्यादा है। डायन प्रथा, ओझागिरी जैसी अंधविश्वास, व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह, आदि की भावनाओं में बहकर कई बार निर्णय लिए जाते हैं या दण्ड दिया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के आधार पर कई ऐसी बातें हैं जो हमारे पारंपरिक सदगमी पर आधारित है। लगभग सभी समुदाय के पारम्परिक व्यवस्था में ग्रामीणों की भागीदारी और उनका प्रधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी जनजाति में यह परिदृश्य शामिल होता है चाहे वह इन सभी आदिवासी विवादों का निपटारा हो या विवाद संबंधी कार्य। यह प्रक्रिया भागीदारी, सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक व आर्थिक मूल पर अंतर्निहित है। यह एक स्वैच्छिक, प्राकृतिक, भागीदारी सामुदायिक पर आधारित है। इस शासन व्यवस्था में भागीदारी प्रत्यक्ष आमने–सामने प्रकृति की होती है जिसमे जीवन की सभी पहलूओं से संबंधित है।

lanHkZ lwph

1. झारखण्ड में पंचायती राज, सामाजिक रिपोर्ट 2014 पृष्ठ संख्या 08।
2. झारखण्ड में पारंपरिक स्वशासन : नीति और रिति, *संवाद,* राँची, पृष्ठ संख्या 05।
3. कत्यायन रश्मि, झारखण्ड पंचायती राज हैण्डबुक, पृष्ठ संख्या 12।
4. कत्यायन रश्मि, झारखण्ड पंचायती राज हैण्डबुक, पृष्ठ संख्या 13।
5. झारखण्ड में पारंपरिक स्वशासन : नीति और रिति, *संवाद,* राँची।

––==00==––